3779 3683

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	8ae601a2cdc29284eb4c
Receipt Date :	24-Jun-2022 07:50:28 am
Receipt Amount :	78040/-
Amount In Words :	Seventy Eight Thousands Forty Rupees Only
Token Number :	20220000075585
Office Name :	SRO - Palamu
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	SHYAM KISHORE SINGH (Vendee)
GRN Number :	2211826201

-: For Office Use :-

24-6-2022

24.6.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Transaction Success!

Name	ShyamKishoreSingh
Token No / Depositor ID	20220000075585
Amount	78040
Transaction ID	8ae601a2cdc29284eb4c
GRN	2211826201
CIN	10002162022062400323
Time	2022-06-24 07:50:28

Sale-D/S 1951000

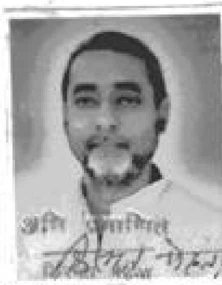

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2211826124

प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट
267 मुक्त है।

A (1) 58530
L. L. R. 3
P. Fee 1
58534

24.6.22

विक्रय–पत्र

1. **लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता:–**

श्री बिनय कुमार सिंह पिता का नाम स्व० बैजनाथ सिंह, सामान्य जाति (सी० एन० टी० एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान मोहल्ला–हमीदगंज, पोस्ट एवं थाना–मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा– व्यापार, नागरिकता– भारतीय।

PAN - AFZPS8151C आधार नं०– XXXX XXXX 0702

शपथ सं०– 2347 दिनांक– 24.6.22

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:–**

श्री श्याम किशोर सिंह पिता का नाम स्व० गिरिवर सिंह, सामान्य जाति (सी० एन० टी० एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान कमलायन, हाउसिंग कॉलनी के नजदीक, बाई पास रोड, सुदना, पो० सुदना, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड पेशा व्यापार, नागरिकता भारतीय।

PAN- BNNPS3715D आधार नं०– XXXX XXXX 8475

शपथ सं०– 2348 दिनांक– 24.6.22

24.6.22

221/03

বিমল কুমার ঘোষ
তাং 24.6.22

6

[illegible] 10 [illegible]

[illegible]

24.6.22

3. **लेख्य प्रकारः**– **विक्रय पत्र** (Sale Deed)

4. **मूल्यः**– (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यः– मो0 19,51,000/– (उन्नीस लाख एकावन हजार) रूपये मात्र।

(ख) देय मूल्यः– मो0 19,51,000/– (उन्नीस लाख एकावन हजार) रूपये मात्र।

(5) **सम्पत्ति का विवरणः**–मवाजी 7.50 (सात दशमलव पांच शुन्य) डी0 जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्तर्गत मौजा निमियां, अंचल कार्यालय सदर मेदिनीनगर जिला पलामू, इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू का हकियत स्वयं से खरीदगी केवाला से हक हासिल है, दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है, जिसमें बिकी की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है। [redacted] है।

बिकी की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं.	हल्का नं0	वार्ड नं0
निमिया	192	51	1	1	3

नगरपालिका हो0 नं0–03A0001236000M0

खाता नं0	**प्लौट नं0**	**रकबा**	**चौहदी**
16 (सोलह)	267 (दो सौ सरसठ)	7.50 (सात दशमलव पांच शुन्य) डी0	उत्तर–रास्ता दक्षिण – सुरेन्द्र महतो पूरब – गौरी शंकर गुप्ता वगैरह पश्चिम–पी0 डब्लु0 डी0 पक्की सड़क

वार्षिक लगान अनुमानितः– मो0 8/– रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपर खाना सं0 5 (पाँच) में वर्णित जमीन का हकियत स्वयं से खरीदगी केवाला से हक हासिल है, जिसका निबंधित केवाला नं0

336 बुक नं० I भौ० नं० 32 पेज नं० 295 से 346 तक है। जिसका निबंध जिला निबंधन कार्यालय डालटनगंज पलामू में दिनांक 19.01.2021 ई० को निबंधित हुआ है। नामांतरण वाद संख्या 1866/2020–21 के माध्यम नामांतरण होकर डिमाण्ड लेख्यकारी के नाम से कम्पयुटरीकृत रजिस्टर के वर्तमान भाग 18 पृ० सं० 88 पर चलता है। उक्त भू–खण्ड पर लेख्यका का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिक हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज त किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इस किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

पुनः विदित हो कि लेख्यकारी को अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक रूपये की आवश्यकता हुई। उन्होंने भरसक प्रय किया कि किसी अन्य स्त्रोतों से उक्त वांछित रूपये की व्यवस्था हो जा परन्तु दुर्भाग्यवश यह हो न सका, इसलिए उन्होंने अन्य कोई उपाय देखकर उपर वर्णित सम्पति को बिक्री करने का निश्चय करके उपर वर्णि खाना संख्या पॉच के सम्पति के बिक्री का प्रचार कराया। तत्पश्चात इ दस्तावेज के खाना संख्या पॉच में वर्णित लेख्य सम्पति को खरीदने के लि कई इच्छुक खरीददार उनसे सम्पर्क किए, परन्तु इस दस्तावेज के लेख्यध ही केवल उसे उचित बाजार मूल्य पर क्रय करने के लिए तैयार हुए। दो पक्षों के बीच दस्तावेज के लेख्य सम्पति की बिक्री एवं खरीद को लेकर क दौर की बातचीत हुई और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच लेख्य सम्पति बिक्री एवं खरीद का सौदा तय हो गया।

दोनों पक्षों के बीच सौदा पक्का हो जाने हो जाने के पश्चात लेख्यधारी ने लेख्यकारी को देय मूल्य की पुरी राशि मो० 19,51,000/ (उन्नीस लाख एकावन हजार) रूपये में से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के चेक नं 263076 से दिनांक 15.06.2022 को आर० टी० जी० एस के माध्यम से मो 13,25,000/–रू० तथा भारतीय स्टेट बैंक के चेक नं० 613361 से दिन 17.06.2022 को मो० 6,26,000/–रू० भुगतान कर दिये हैं। इस प्रक दोनों पक्षकार संतुष्ट हैं तथा जरसमन की पूरी राशि की वसूली के साथ यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और

लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन पर से अपना सम्पू स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारी को स्वामि तथा दखल कब्जा दे दिये।

इस प्रकार से इस जमीन के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक ज भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में इन उतराधिकारियों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्रा हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुस उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार मका निर्माण कराकर परिवार के साथ निवास करें या जैसा उचित समझे इसव इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं र और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारी को चाहिए कि झारख सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस द्वारा स्वंय अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमी में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथ गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य व विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने व सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भू मंदिर–मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तका अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर–पढ़वाक ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बि किसी डर भय दवाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के सम कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्प हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक

लव

20.6.22

Singh

SHYAM KISHORE SINGH

24.6.22

मै किस्मत मेहता मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला० नं० 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांयें हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

मजमुनकर्ता

किस्मत मेहता

किस्मत मेहता (दस्तावेज नवीस)
अनुज्ञप्ति संख्या –111/03
मेदिनीनगर

3932 3832

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	9eb155cd3e897818a50b
Receipt Date :	29-Jun-2022 11:19:11 am
Receipt Amount :	164700/-
Amount In Words :	One Lakh Sixty Four Thousands Seven Hundred Rupees Only
Token Number :	20220000075733
Office Name :	SRO - Palamu
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	SHYAM KISHORE SINGH (Vendee)
GRN Number :	2211907968

-: For Office Use :-

29/6/2022 23 29/06/22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Transaction Success!

Name	ShyamKishoreSingh
Token No / Depositor ID	20220000075733
Amount	164700
Transaction ID	9eb155cd3e897818a50b
GRN	2211907968
CIN	10002162022062903393
Time	2022-06-29 11:19:11

Singh

वि. ४ 41,17,500/- 5%. 164700/-

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2211908416

123525 = 00
3 = 00
1 = 00
123529 = 00

विक्रय–पत्र

1. **लेख्यकारीगण का नाम एवं पुरा पताः–**

1. श्री गौरी शंकर गुप्ता, PAN - AYHPG2823Q
2. श्री सीता राम गुप्ता, PAN - BPMPG0433D
3. श्री राधे श्याम गुप्ता, PAN- CHTPG5282J
4. श्री संजय कुमार गुप्ता, PAN - CHTPG5286N

सभी के पिता का नाम स्व0 रामलखन साव, सभी पिछड़ी जाति वर्ग II (सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), स्थायी निवास स्थान न्यु एरीया रिफयुजी कॉलनी हमीदगंज, शहर एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा व्यापार, नागरिकता भारतीय।

आधार नं0 क्रमशः– XXXX XXXX 7947, XXXX XXXX 9495, XXXX XXXX 6578 एवं XXXX XXXX 8560

शपथ सं0 क्रमशः– 2397,2398,2399,2400 दिनांक– 29.6.22

[illegible]

29/6/2022

6

[illegible] 10 [illegible]

[illegible]

29/6/22

সীতারাম গুপ্তা

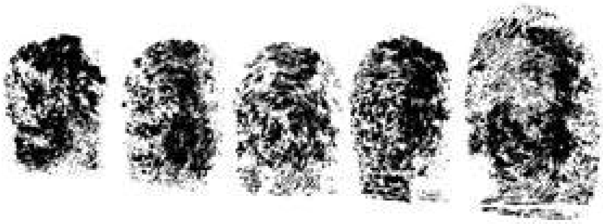

সীতারাম গুপ্তা
রাজকুমার গুপ্তা
সঞ্জয় কুমার গুপ্তা
২৬.১.২২

রাজকুমার গুপ্তা

সঞ্জয় কুমার গুপ্তা

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:–**

श्री श्याम किशोर सिंह पिता का नाम स्व0 गिरिवर सिंह, सामान्य जाति (सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान कमलायन, हाउसिंग कॉलनी के नजदीक, बाई पास रोड, सुदना, पो0 सुदना, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा व्यापार, नागरिकता भारतीय।
PAN- BNNPS3715D आधार नं0– XXXX XXXX 8475

शपथ सं0– 2401 दिनांक– 29.6.22

3. **लेख्य प्रकार:– विक्रय पत्र (Sale Deed)**

4. **मूल्य:–** (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:– मो0 41,17,500/– (एकतालीस लाख सतरह हजार पांच सौ) रूपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:– मो0 41,17,500/– (एकतालीस लाख सतरह हजार पांच सौ) रूपये मात्र।

(5) **सम्पत्ति का विवरण:**–मवाजी 19 (उन्नीस) डी0 जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्तर्गत मौजा निमियां, अंचल कार्यालय सदर मेदिनीनगर जिला पलामू, इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू का हकियत पिता के द्वारा खरीदगी सम्पति है, दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है, जिसमें बिकी की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है। नया खाता नं0 91/42 नया प्लॉट नं0 548 एवं 549 है।

बिकी की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं.	हल्का नं0	वार्ड नं0
निमिया	192	51	1	1	2

नगरपालिका हो0 नं0–0030000594000A2

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
16 (सोलह)	267 (दो सौ सरसठ)	19 (उन्नीस) डी0	उतर–रास्ता दक्षिण–सुरेन्द्र महतो पूरब– सुरेन्द्र महतो पश्चिम–नीज क्रेता

वार्षिक लगान अनुमानितः– मो0 8/– रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपर खाना सं0 5 (पाँच) में वर्णित जमीन का हकि... पिता के द्वारा खरीदगी सम्पति है, जिसे लेख्यकारी के पिता एवं चाचा रामदास साह ने मिलकर कुल रकबा 38 डी0 जमीन खरीद किये थे, जिसका निबंधित केवाला नं0 6338 बुक नं0 1 भौलुम नं0 51 पेज नं0 388 से ... तक जो दिनांक 28.11.1963 ई0 को जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू में निबंधित हुआ है। डिमाण्ड लेख्यकारीगण के पिता के नाम से कम्पयुटरीकृत रजिस्टर दो के वर्तमान भाग 01 पृ0 सं0 53 पर चलता है। लेख्यकारीगण के चाचा रामदास साह अपने हिस्से की जमीन रकबा 19 डी0 बिक्री कर दिये। लेख्यकारीगण के पिता स्वर्गवास कर चुके हैं, इसलिए उनके द्वारा छोड़ी गयी चल वो अचल सम्पति का पूर्ण स्वत्व उतराधिकारी चारों पुत्र यानि इस दस्तावेज के लेख्यधारीगण हुये। उक्त भू–खण्ड पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन में लेख्यकारीगण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

पुनः विदित हो कि लेख्यकारीगण को अपने–अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक रूपये की आवश्यकता हुई। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि किसी अन्य स्त्रोतों से उक्त वांछित रूपये की व्यवस्था हो जाए, परन्तु दुर्भाग्यवश यह हो न सका, इसलिए उन्होंने अन्य कोई उपाय न देखकर उपर वर्णित सम्पति को बिकी करने का निश्चय करके उपर वर्णित खाना संख्या पॉच के सम्पति के बिकी का प्रचार कराया। तत्पश्चात इस दस्तावेज के खाना संख्या पॉच में वर्णित लेख्य सम्पति को खरीदने के लिए कई इच्छुक खरीददार उनसे सम्पर्क किए, परन्तु इस दस्तावेज के लेख्यधारी ही केवल उसे उचित बाजार मूल्य पर कय करने के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों के बीच दस्तावेज के लेख्य सम्पति की बिकी का

खरीद को लेकर कई दौर की बातचीत हुई और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच लेख्य सम्पति की बिक्री एवं खरीद का सौदा तय हो गया।

दोनों पक्षों के बीच सौदा पक्का हो जाने हो जाने के पश्चात हे लेख्यधारी ने लेख्यकारीगण को देय मूल्य की पुरी राशि मो0 41,17,500/- (एकतालीस लाख सतरह हजार पांच सौ) रूपये मात्र निम्न प्रकार भुगतान कर दिये है।

Name of Bank	Cheque No.	Date	Amount in Rs.	Name of Receiver
S.B.I. Main Branch Daltonganj	458089	08.06.22	10,00,000	Gauri Shankar Gupta
S.B.I. Main Branch Daltonganj	458087	08.06.22	10,00,000	Sitaram Gupta
S.B.I. Main Branch Daltonganj	458088	08.06.22	10,00,000	Sanjay Kumar Gupta
Punjab & Sind Bank	263073	08.06.22	5,00,000	Radheshyam Gupta
Punjab & Sind Bank	263075	08.06.22	5,00,000	Radheshyam Gupta
Cash			1,17,500	All Vendor

इस प्रकार दोनों पक्षकार संतुष्ट हैं तथा जरसमन की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और लेख्यकारीगण ने उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिये।

इस प्रकार से इस जमीन के सम्बन्ध लेख्यकारीगण को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाऐं प्राप्त थे अथवा भविष्य में इनके उतराधिकारियों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार मकान निर्माण कराकर परिवार के साथ निवास करें या जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारीगण को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस के द्वारा स्वंय अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वंय अपने नाम से प्राप्त किया करें।

लेख्यकारीगण ने लेख्यधारी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उप वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारीगण के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपाई लेख्यकारीगण करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर–मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारीगण इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर–पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने–अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर, भय, दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधन करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक
लव

Singh
SHYAM KISHORE SINGH

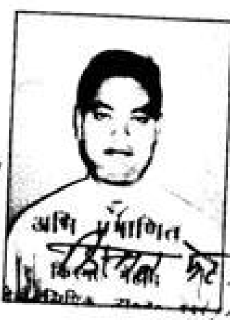

मैं किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस लाo नo 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांयें हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

मजमुनकर्ता
किस्मत मेहता
किस्मत मेहता (दस्तावेज नवीस)
अनुज्ञप्ति संख्या –111/03
मेदिनीनगर